न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

प्रकरण संख्या– अपीलडि./टीए/1962/2005/सवाईमाधोपुर

1. इकबाल पुत्र नूर मोहम्मद
2. बशीरन पत्नी नूर मोहम्मद
   समस्त जाति मुसलमान निवासी शिवाड तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाईमाधोपुर

–अपीलार्थीगण

बनाम

1. लाड देवी पत्नी श्री रामकिशोर ब्राहमण निवासी शिवाड तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाईमाधोपुर

–प्रत्यर्थी

2. अल्लादीन पुत्र सुल्तान खां मृतक नाम तर्क आदेश दि 5–08–2011
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसील चौथ का बरवाडा
4. मोयनुदीन पुत्र अल्लादीन खां जाति मुसलमान निवासी म.न. 563 शिव कालोनी ग्राम शिवाड तहसील सवाईमाधोपुर आदेश दिनांक 13–09–2012 से प्रत्यर्थी संख्या–4 के रूप में पक्षकार बनाया

–तरतीबी प्रत्यर्थीगण

खण्डपीठ
श्री मुकेश शर्मा, अध्यक्ष
श्री सुनील कुमार शर्मा, सदस्य

उपस्थित

श्री मुकेश जैन, अधिवक्ता अपीलार्थीगण
श्री हेमन्त सोगानी, अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या–1

निर्णय

दिनांक 11.10.2019

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाईमाधोपुर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04–04–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी प्रत्यर्थी संख्या–1 ने विचारण न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 188 के अन्तर्गत प्रतिवादीगण अपीलार्थीगण व तरतीबी प्रत्यर्थी अलादीन के विरूद्ध वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि उक्त विवादित आराजी वादिया ने शिवप्रकाश सिंह से जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 21–08–1986 से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है तथा ग्राम पंचायत, शिवाड ने वादिया के हक में दिनांक 14–09–1986 को नामान्तरकरण भी तस्दीक कर दिया है। क्रय की दिनांक से वादिया उक्त विवादित आराजी पर काबिज काश्त है प्रतिवादीगण वादिया के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप करते है। अतः प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे। विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया। प्रतिवादीगण की ओर से जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर वादिया के वाद को खारिज किये जाने एवं काउन्टर क्लेम को स्वीकार कर विवादित आराजी का खातेदार घोषित किये जाने एवं वादिया को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का अनुतोष चाहा। विचारण न्यायालय ने दावे एवं जवाबदावे, काउन्टर क्लेम के आधार पर अनुतोष सहित चार विवाद्यक विरचित कर उभयपक्ष पक्ष की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य लिपिबद्ध की। तत्पश्चात् उभयपक्ष की बहस सुनकर निर्णय दिनांक 30–11–2002 से वादी प्रत्यर्थी संख्या–1 की ओर से प्रस्तुत स्थाई निषेधाज्ञा के वाद को खारिज कर दिया तथा प्रतिवादीगण अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत काउन्टर क्लेम को स्वीकार कर प्रतिवादीगण अल्लादीन, बशीरन, इकबाल को विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित करते हुए वादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कर दिया। विचारण न्यायालय द्वारा पारित इस निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध वादी प्रत्यर्थी संख्या–1 की ओर से अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाईमाधोपुर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04–04–2005 से स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक

30–11–2002 को निरस्त करते हुए वादी को विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कर दिया। इसी निर्णय एवं डिक्री से व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील द्वितीय राजस्व मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की।

3. हमने उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

4. योग्य अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने अपनी बहस में अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एव रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि अपीलार्थीगण व प्रत्यर्थी संख्या–2 विवादित आराजी पर काबिज काश्त है तथा इससे पूर्व उनके पिता सुल्तान खां सम्वत् 2009 से ही काबिज काश्त थे, जिसके आधार पर ही जमाबन्दी सम्वत् 2009 से 12 में खुदकाश्त थे तथा उसके पश्चात् जागीर रिजम्पशन होने के कारण प्रतिवादीगण अपीलार्थी उक्त आराजी के बाई आपरेशन आफ लॉ खातेदार काश्तकार हो गये। उनका कथन है कि वादी अपना वाद स्थाई निषेधाज्ञा का लेकर आई है किन्तु वादिनी ने कहीं पर भी अपना कब्जा साबित नहीं किया है तथा मौखिक साक्ष्य में वादिनी के गवाहों ने भी वादिनी का कब्जा अपने कथनों से साबित नहीं किया। इसलिए वादिनी का वाद बिना कब्जे के चलने योग्य नहीं था। उनका कथन है कि विचारण न्यायालय द्वारा इसी दस्तावेजी साक्ष्य एवं तथ्यों के आधार पर वादी प्रत्यर्थी संख्या–1 की ओर से प्रस्तुत वाद को खारिज करते हुए उनके पक्षकार की ओर से प्रस्तुत काउन्टर क्लेम को स्वीकार कर विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित करते हुए वादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नहीं थी। उनका कथन है कि प्रतिवादीगण ने अपना काउन्टर क्लेम दस्तावेजी साक्ष्य के साथ साथ

स्वतन्त्र गवाहान से भी साबित कर दिया था तथा सभी स्वतन्त्र गवाहान ने भी विवादित आराजी पर कब्जा प्रतिवादीगण का होना बताया था। उनका कथन है कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री के विरूद्ध वादी प्रत्यर्थी संख्या–1 को दो अपीले प्रस्तुत करनी चाहिए थी। उनका कथन है कि अपीलीय न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि उक्त विक्रयपत्र के आधार पर नामान्तरकरण भी तस्दीक कर दिया था जिसे राजस्व मण्डल ने दिनांक 13–5–1994 को यह कहते हुए निर्णय पारित किया कि यदि वादिया ने अपने नाम नामान्तरकरण भी तस्दीक करवा लिया तो इसका कोई महत्व नहीं है क्योंकि उसका आधार बैनामा है। उनका कथन है कि जब जागीरदार की खातेदारी खत्म हो गयी व प्रतिवादीगण बाई आपरेशन आफ लॉ स्वतः ही खातेदार बन गये तो बैचानकर्ता श्री शिवप्रकाशसिंह को उक्त आराजी पर कोई अधिकार नहीं थे तो वादिया को हक व अधिकार मिलने का प्रश्न ही नहीं होता। उनका कथन है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों एवं विधिक स्थिति की अनदेखी करते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किये गये है, जो तथ्यात्मक एवं विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को निरस्त किया जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को बहाल रखा जावे।

5. इसके विपरीत योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या–1 ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित आराजी जमाबन्दी सम्वत् 2042–45 में ठा0 शिवप्रकाश सिंह के नाम दर्ज थी तथा वादिया ने ठाकुर शिवप्रकाश सिंह से जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 21–08–1986 से विवादित आराजी क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है तथा ग्राम पंचायत, शिवाड ने वादिया के हक में दिनांक 14–09–1986 को नामान्तरकरण भी तस्दीक कर दिया है। क्रय की दिनांक से वादिया उक्त विवादित आराजी पर

काबिज काश्त है प्रतिवादीगण वादिया के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप करते है। उनका कथन है कि नामान्तरकरण आदेश के विरूद्ध अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रथम व द्वितीय अपील तथा निगरानी खारिज हो चुकी है। उनका कथन है कि विवादित आराजी के विक्रेता ठाकुर शिवप्रकाश सिंह की पत्नी व पुत्र ने रजिस्टर्ड विक्रयपत्र को निरस्त करवाने हेतु सिविल न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया, जिसे सिविल न्यायाधीश, प्रथम, सवाईमाधोपुर द्वारा पारित निर्णय से खारिज किया जा चुका है। उनका कथन है कि प्रतिवादीगण अपीलार्थीगण की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष पृथक से कोई काउन्टर क्लेम पेश नहीं कर जवाबदावे में ही अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा चाही गयी थी, ऐसी स्थिति में प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष दो अपीले प्रस्तुत किया जाना आवश्यक नहीं था। उनका कथन है कि प्रतिवादीगण में से मात्र प्रतिवादी संख्या–1 अल्लादीन का विवादित आरजाी पर कब्जा काश्त सम्वत् 2009 से 12 की खसरा गिरदावरी में अंकित है, इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी दस्तावेजी साक्ष्य से विवादित आराजी पर प्रतिवादीगण अपीलार्थीगण का कब्जा काश्त प्रमाणित नहीं होता है तथा सम्वत् 2012 की प्रतिवादीगण विवादित आराजी के राजस्व अभिलेख में उपकृषक दर्ज नहीं होने से विवादित आराजी पर कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं कर सकते। उनका कथन है कि विचारण न्यायालय ने वादी की ओर से प्रस्तुत वाद को खारिज करने तथा प्रतिवादीगण के काउन्टर क्लेम को स्वीकार करने में विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित की। उनका कथन है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्यों की पूर्ण विवेचना एवं विश्लेषण करते हुए अपीलाधीन विधिसम्मत् निर्णय व डिक्री पारित की गयी है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होने से पारित निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायेाचित नहीं है। अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील को खारिज किया जावे। योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या–1 ने अपने कथनों के समर्थन में 2007 एआईआर केरल पेज 69, 2016 सीसीसी पेज

726, 2019 डब्ल्यूएलएन I पेज 65, 2093 एआईआर एससी पेज 1202, 1976 एआईआर एससी पेज 1645, 1990 एआईआर केरल पेज 144, 2002 एआईआर एससी पेज 834, 1975 आरआरडी पेज 52, 1980 एआईआर एससी पेज 1187, 1968 एआईआर एससी पेज 488 एवं 1989 एआईआर एससी पेज 2206 पर उद्धरित न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये।

6. हमने उभय पक्ष के योग्य अधिवक्ताओं द्वारा की गयी बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों से प्राप्त रिकार्ड का बारीकी से अध्ययन एवं मूल्यांकन किया।

7. प्रस्तुत प्रकरण में इस बारे में विवाद नहीं है कि वादी/प्रत्यर्थी संख्या–1 का वाद खारिज करने एवं प्रतिवादीगण/अपीलार्थीगण का काउन्टर क्लेम डिक्री करने के निर्णय के विरूद्ध वादी/प्रत्यर्थी संख्या–1 ने राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाईमाधोपुर के समक्ष केवल एक अपील पेश की थी। आदेश 8 नियम 6 सी.पी.सी. 1908 के प्रावधानों के अवलोकन से यह इंगित होता है कि काउन्टर क्लेम भी एक वाद का ही रूप होता है तथा उस पर वह सभी प्रक्रियात्मक प्रावधान लागू होते हैं, जो कि किसी वाद में लागू होते हैं। ए.आई.आर. 1993 एस.सी. 1202 'प्रीमियर टायर्स लि0 बनाम केरल स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन' के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्न मत प्रतिपादित किया गया है–

> "Where no appeal is filed, as in this case from the decree in connected suit it has the same effect of non filing of appeal against a judgment or decree…… Thus the finality of finding recorded in the connected suit, due to non-filing of appeal precluded the Court from preceding with appeal in other suit."

8. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ए.आई.आर. 1976 एस.सी. 1645 'लोनान कुट्टी बनाम थोमन' के मामले में भी यह मत

प्रतिपादित किया गया है कि दो वादों के कन्सोलिडेट हो जाने के बाद यदि एक ही निर्णय के द्वारा दोनों वादों का निस्तारण किया जाता है तो ऐसे मामले में भी धारा 11 सी.पी.सी. के प्रावधान आकर्षित होंगे। आर.एस.ए.नबंर 14/2015 निर्णय तिथि दिनांक 28-1-15 'गिरिजा वगैरह बनाम राजन वगैरह' के प्रकरण में माननीय केरल उच्च न्यायालय द्वारा यह मत प्रतिपादित किया गया है कि यदि किसी वाद में काउन्टर क्लेम पेश होता है तथा विचारण न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध एक ही अपील प्रस्तुत होती है, तब ऐसे मामले में धारा 11 सी.पी.सी. में वर्णित पूर्व न्याय का सिद्धांत लागू हो जायेगा। इस संबंध में माननीय केरल उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित व्यवस्था निम्नानुसार है-

> "From the above discussion, it is discernible that the law stated in Order 8 Rule 6A C.P.C. makes it abundantly clear that the counter claim in a suit will have all the characteristics of a cross suit including the vulnerability of suffering the bar of res-judicata enshrined in section 11 C.P.C., if not properly challenged.....Therefore, I find that the question of law arising in this case can only be decided against the appellants, finding that if a defendant who raised a counter claim in a suit, fails both in the suit and in the counter claim, will have to file separate appeals challenging the decree in the suit and the counter claim. Since the appellants in this case failed to do so before the lower appellate court, I am of the view that the first appeal itself was barred by res-judicata."

9. उक्त तीनों मामलों में प्रतिपादित सिद्धांत मौजूदा प्रकरण के तथ्यों पर पूर्ण रूप से लागू होते हैं। प्रस्तुत प्रकरण में भी वादी/प्रत्यर्थी संख्या-1 द्वारा विचारण न्यायालय के वाद खारिज करने एवं काउन्टर क्लेम डिक्री करने के निर्णय के विरूद्ध प्रस्तुत की गई एक ही अपील पूर्व न्याय के सिद्धांत से बाधित थी। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय में केवल वादी का वाद डिक्री किया है तथा इस प्रकार विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिवादी/अपीलांट के काउन्टर क्लेम को डिक्री करने का निर्णय आज भी अस्तित्व में है। इन परिस्थितियों में विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय का आक्षेपित निर्णय व डिक्री यथावत रखे जाते हैं तो दो परस्पर विरोधाभासी

निर्णय व डिक्रियां प्रभाव में रहेगी, जिससे पेचिदगियां उत्पन्न होंगी तथा पक्षकारान के हितों में टकराव बरकरार रहेगा। विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय ने प्रथम अपील तय करते समय इस तथ्यात्मक व विधिक पहलू की तरफ ध्यान नहीं दिया कि वादी/प्रत्यर्थी संख्या–1 को दो पृथक पृथक अपीलें प्रस्तुत करके ही विचारण न्यायालय के निर्णय निर्णय व डिक्री को चुनौती देनी चाहिए थी तथा उनके द्वारा ऐसा नहीं करने से प्रथम अपील पोषणीय ही नहीं थी। उक्त के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारिज अपीलाधीन निर्णय विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

10. परिणामतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाईमाधोपुर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04–04–2005 निरस्त की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील कुमार शर्मा)
सदस्य

(मुकेश शर्मा)
अध्यक्ष